Dr. Nilima Gupta

Lecture Paris Part -2

Unit I

पेरिस शांति – समझौता 1919 **(Peace Settlement of Paris 1919)**

1- प्रादेशिक व्यवस्थाएं –

बिस्मार्क ने जर्मनी साम्राज्य का निम्न रक्त और लौह की नीति पर किया था उसका विघटन कर दिया गया ।अल्सेस और लारेंन के प्रदेश फ्रांस को लौटा दिए गए।शलेस्विग का उत्तरी भाग डेनमार्क को और दक्षिणी भाग जर्मनी को से दिया गया। पोलैंड का पुनः निर्माण किया गया। डैजिंग को जर्मनी से अलग कर राष्ट्र संघ को सौंपा गया। सुदूर पूर्व में फिनलैंड को मान्यता दे दी गई। सन 1870 के पश्चात जर्मनी जिन देशों से कलात्मक वस्तुएं लाया था उन्हें वापस करना होगा।इस प्रकार अनेक परिवर्तन किए गए ।

2- क्षतिपूर्ति एवम् आर्थिक व्यवस्थाएं –

5, नवम्बर 1918 को जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था तो मित्र राष्ट्रों ने बता दिया था कि क्षतिपूर्ति उससे की जाएगी। एक क्षतिपूर्ति आयोग निर्मित किया गया। मई,1921 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक जर्मनी को 40 खरब डॉलर अथवा 200 खरब स्वर्ण मार्क अथवा 100 करोड़ पौंड क्षतिपूर्ति कर देगा।

मित्र राष्ट्र यह जानते थे कि जर्मनी तत्काल नगद भुगतान नहीं कर सकता। अतः उसे कुछ सुविधाएं दी –

- फ्रांस एवम् इटली को दस वर्षों तक कोयला देना होगा
- फ्रांस और बेल्जियम को घोड़े आदि पशु देने होंगे।
- चीन , मोरक्को v मिस्र से जर्मनी के विशेष अधिकार छीन जाने से उपनिवेशों से तेल,रबर, व सूट का कच्चा माल मिलना बन्द हो गया जिससे उसके कारखाने बन्द हो गए।

इस प्रकार जर्मनी के सभी आर्थिक स्रोत छीन लिए गए – क्रीन्स ने लिखा है – जर्मनी के विरूद्ध आर्थिक उप बन्ध अदा नहीं किए जा सकते थे और उसको पूरा कराने के प्रयत्न यूरोप के लिए घातक सिद्ध हुए।

3- न्याय व्यवस्था –

जर्मनी को 231 वीं धारा के अनुसार युद्ध प्रारम्भ करने का दोषी माना गया। इस पर पांच देशों के न्यायधीशों की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। जिन सैनिकों ने जर्मनी की तरफ़ से युद्ध में भाग लिया था उन पर भी मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया ,पर हालैंड की सरकार से मित्रता होने के कारण कैसर विलियम पर मुकदमा नहीं चलाया गया।

जर्मनी ने अपने हाथों अपने देश का विनाश कर दिया।मैरियट के शब्दों में- जर्मनी सरकार ने जिसका निर्माण बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति पर किया था फिर तलवार खींच ली थी , तलवार से ही उसका विनाश हुआ।

समीक्षा (Evaluation)

वर्साय की सन्धि अपने में अनोखी है। इस संदर्भ में इतिहासकारों के परस्पर विरोधी विचार हैं- जहां रेस्टोनार्ड वाकर , डेरी जारमेन , लिप्सन , वर्डसाल , व डेविस ने इस संधि की प्रशंसा की है , वहीं वेथमान , हालवेग , स्टमस फोच आदि विद्वानों ने आलोचना की है। जरमेन (Jarmam) के अनुसार – संधि के कुछ ठोस गुण थे , एक तो यह कि इसके द्वारा राष्ट्रवादियों और उत्तरवादियों की विजय हुई थी और दूसरा यह कि

संधिं निर्माताओं ने विल्सन के अनरोध से ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि जिससे संधि पर पुनः विचार किया जा सकता था। वास्तव में सन्धि के व्यवस्था के तहत राष्ट्र संघ का निर्माण भावी विश्व को शान्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ।

आलोचना (Criticism)

वर्साय की सन्धि की आलोचना करते हुए जनरल फास ने लिखा है कि यह सन्धि पत्र न होकर 20 साल का विरामकल है।इसकी आलोचना इस प्रकार की का सकती है।

1 -अपमानपूर्ण थोपी गई सन्धि-

यह सन्धि जर्मनी के लिए अपमान पूर्ण थी। शांति सम्मेलन में जर्मनी को नहीं बुलाया गया था। हस्ताक्षर करने आये जर्मनी प्रतिनिधियों को नुकीले तारों से घिरे मकान में ठहरे गया था,उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया गया था। धमकी दे कर हस्ताक्षर कराया गया था।सन्धि पर हस्ताक्षर करते हुए एक प्रतिनिधि ने कहा था - हमारा देश दबाव के कारण हस्ताक्षर कर रहा है,किन्तु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण सन्धि है।

2- बदले की भावना से युक्त सन्धि –

यदि विल्सन के उद्देश्यों का पूरी तरह से पालन किया जा सका जिसकी मुख्य वजह मित्र राष्ट्रों की प्रतिशोधात्मक भावना थी। ज 0 ल 0 नेहरू के अनुसार- मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से युक्त थे।वे मांस का पिंड नहीं चाहते थे,बल्कि जर्मनी के अर्ध मृत शरीर से खून की आखिरी बूंद तक ले लेना चाहते थे।

3-कठोर शर्तें –

सन्धि की शर्तें अत्यधिक कठोर थीं इसका उद्देश्य लायड जार्ज के इस व्यक्तव्य विदित होता है- इस संधि की धाराएं युद्ध में मृत शहीदों के खून से लिखी गई हैं।जिन लोगों ने इस युद्ध को शुरु किया था उन्हें पुनः ऐसा न करने की शिक्षा अवश्य देनी है।

4-एक पक्षीय निर्णय –

जर्मनी को केवल हस्ताक्षर के लिए बुलाया गया था। निः शस्त्रीकरण केवल जर्मनी के लिए लागू किया गया था। आत्मनिर्णय का सिद्धांत जर्मनी पर लागू नहीं किया गया था। जबकि सन्धि तभी पूर्ण होती है जब सन्धि वाले देश आपस में जुड़ सकें,आपस में एडम – प्रदान हो सके।

प्रादेशिक व्यवस्था के दोष –

जिस प्रकार टर्की साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर के रियासतों को जन्म दिया था उसी प्रकार जर्मनी के राज्यों को भंग करके छोटी- छोटी रियासतें बना दी गई थी। इन छोटी रियासतों ने यूरोप में कई समस्याएं उत्पन्न कर दीं।

इस संधि में सबसे अधिक जर्मनी ने हानि उठाई थी इस लिए उसने अपनी कालोनियों को प्राप्त करने के लिए हर कदम उठाए जो उठा सकता था फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखा जा सकता है।

सेंट जर्मेन सन्धि (Treaty of St. Germain)

सेंट जर्मेन सन्धि एस्ट्रिया के साथ हुई थी।यह पेरिस के पास सेंट जरमेन नामक स्थान पर हुईं थीं। अस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने सन्धि पत्र में 10, सितम्बर 1919 को हस्ताक्षर किए थे। इसके द्वारा निम्न व्यवस्थाएं की गई थी-

1 – प्रादेशिक व्यवस्थाएं –

A - आस्ट्रिया ने पोलैंड हंगरी ,यो यूगोस्लावियाव , चैकोस्लोवकिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी।

ब- मोरविया ,बोहेमिया , साईलेसिया को मिला कर चैकोस्लोवाकिया का निर्माण किया।

C – बोस्निया , हरजेगोविना और कोरिया को मिलाकर युगोस्लाविया का गठन किया गया।

D- पौलैंड को गैलेसिया तथा रूमानिया को बुकोबिना दिया गया।

E- आस्ट्रिया में निवास करने वाली विभिन्न जातियों जैसे – जर्मन , पोल , रुमानिया , इ तैलियन , ,चैक ,क्रीट आदि को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश दिए गए।

F- इटली को इस्ट्रिया ,दक्षिणी टायरोल ,ट्रीस्ट एवम् डालमेसिया दे दिया गया।

G- हैप्सबर्ग शासन का अंत हो गया।और आस्ट्रिया एक छोटा सा जनतंत्र बन कर रह गया।

सैन्य व्यवस्था

आस्ट्रिया की सेना की संख्या 30 हजार कर दी गई।उसकी नौ सेना और नभ सेना समाप्त कर दी गई।उसे डेन्यूब नदी में तीन किश्तियां रखने का अधिकार दिया गया।

आर्थिक व्यवस्था

युद्ध के हर्जाने की रकम निश्चित करने के लिए एक क्षतिपूर्ति आयोग गठित किया जाएगा वह जो भी राशि निर्धारित करेगा आस्ट्रिया को स्वीकार करना होगा। टेशन का उद्योग प्रधान प्रदेश पौलैंड चैकोस्लोवाकिया में बांट दिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि आस्ट्रिया युद्ध अपराधियों को मित्र राष्ट्रों को सौंप देगा।

इस प्रकार इस संधि ने आस्ट्रिया को संकुचित कर के रख दिया। इसके अवशेषों पर को छोटे - छोटे राज्यों की स्थापना की गई। इनका निर्माण करते समय सांस्कृतिक सिद्धांतों को भुला दिया जैसे अनेक जर्मन जो जर्मनी के साथ मिलना चाहते थे,जर्मनी शक्तिशाली न हो जाए इस भय से नहीं मिलाया गया।

न्यूइली की सन्धि

ट्रियानो की सन्धि

यह संधि हंगरी के साथ 4, जून 1920 को हुई।इसके अनुसार –

A- ट्रांसिल्वेनिया रुमानिया को और क्रोसिया सर्बिया को से दिया गया।

B- स्लोवाकिया चैकोस्लोवाकिया को दे दिया गया।

C- हंगरी को आस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। इसका प्रभाव आस्ट्रिया पर पड़ा।

D- हंगरी जिसका क्षेत्रफल 12000वर्ग मील व जनसंख्या 20,000,000 थी 35000 वर्ग मील ,80000 जनसंख्या वाले राज्य में परिवर्तित हो गई।

सेव्रे सन्धि

1. यह सन्धि टर्की की भगोड़ी सरकार के साथ 10 , अगस्त 1920 को हुई। इसके अनुसार
2. कुर्दिस्तान को स्वतंत्र करने का अश्वासन दिया गया।
3. आर्मीनिया को स्वतंत्र कर दिया गया।
4. थ्रेस , एड्रियाटिक, स्मरना सागर के कुछ टापू तथा गेलीपोली के द्वीप ग्रीस को दे दिए गए ।

5. मिस्र , मोरक्को , त्रिपोली सीरिया , सीरिया , फिलिस्तीन , अरब , मेसोपोटामिया पर टर्की ने अपने अधिकार त्याग दिए। टर्की के खलिफा के पास अनातोलिया का पहाड़ी प्रदेश तथा कुस्तुन्तुनिया के आस – पास का प्रदेश रह गया।
6. वासफोरस और डारडेनलीज जल अंतरीपों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया । वेंस ने कहा है- टर्की पहले से टर्की की एक छाया मात्र रह गई।और उसका अस्तित्व एसिसाई राज्य अंगोरा के आस - पास बचा रहा । (Turkey was thus reduced to little more a shadow of her former self and became a small Asiatic state in the Anatolian upland around Angora. Benns)।

<u>लोसान की सन्धि –</u>

लोसान की सन्धि की निम्न निर्णय लिए गए –

1. पूर्वी थ्रेस , स्मरना और आर्मीनिया टर्की को लौटा दिया गया।
2. मैसोपोटामिया, सूडान , सीरिया , अरब , मिस्र ,साइप्रस , फिलिस्तीन पर से उसके (टर्की) के अधिकार छीन लिए गए।
3. वासफोरस तथा दानियाल के जल डमरुओं को किले बन्दी रहित एवम् अंतरराष्ट्रीय अधिकार में रहने दिया।
4. उस पर क्षतिपूर्ति नहीं लादी गई ।
5. उस पर कोई सैन्य नहीं लगाया गया।
6. टर्की के सुल्तान को अपने शासन के अन्तर्गत रहने वाले समस्त जातियों से समान व्यवहार करने का वचन लिया है।
7. इस संधि के बारे में कहा जा सकता था कि यह आरोपित सन्धि न थी।

Lecture on Paris to be continue …